

**समाहरणालय, जमुई**  
**(जिला योजना कार्यालय)**

**अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना**

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत जमुई क्षेत्राधीन भिन्न भिन्न स्थलों पर सौर स्ट्रीट लाईट संयंत्र अधिष्ठापन हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है।

आपूर्ति सह अधिष्ठापन हेतु निर्माता कम्पनी/फर्म व ख्याति प्राप्त एजेंसी से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग अलग मुहरबंद लिफाफे में दिनांक- 3.11.2016 को 1:00 बजे अपराहन तक जिला योजना कार्यालय जमुई में जमा कर सकते हैं। जिला पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में जिला कय समिति के समक्ष दिनांक-3.11.2016 को अपराहन 4:00 बजे संवाद कक्ष, जमुई में निविदा खोली जाएगी। जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकते हैं।

**तकनीकी निविदा की शर्तें : -**

1. निर्माता कम्पनी को एम.एन.आर.ई0 टेस्ट रिपोर्ट लाईट का वर्ष 2015-16 का देना होगा।
2. निर्माता कम्पनी को एम.एन.आर.ई0 का चेनल पार्टनर होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
3. निर्माता कम्पनी को भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड कम्पनी होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
4. निर्माता कम्पनी को सोलर संयंत्र के अधिष्ठापन का न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
5. निर्माता कम्पनी को विगत तीन वर्षों का सालाना टर्न ओभर दो करोड रुपये का होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।(वित्तीय वर्ष 2015-16, 2014-15, 2013-14 का)
6. निविदादाता के पास कम से कम तीन वर्षों का का अंकेक्षित बैलंस शीट होनी चाहिए।
7. निर्माता कम्पनी का पैन कार्ड एवं वैट से संबंधित निबंधन प्रमाण-पत्र देना होगा।
8. निर्माता कम्पनी को काली सूची में दर्ज नहीं होने से संबंधित नोटरी पब्लिक द्वारा शपथ पत्र देना होगा। साथ ही निर्माता कम्पनी/फर्म व एजेंसी जिनके विरुद्ध काली सूची में दर्ज करने हेतु विभाग को अनुशंसा की गयी है निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
9. निविदादाता को इस आशय का शपथ प्रमाण पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।
10. तकनीकी निविदा में 30,000/ तीस हजार रुपये का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य ड्रॉफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, जमुई के पदनाम से संलग्न करना होगा।
11. निर्माता कम्पनी को एम0 एस0 ए0 एवं आई0 एस0 ओ0 14001-2004 होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
12. निर्माता कम्पनी को आई0 एस0 ओ0 9001-2008 कर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देना होगा।
13. निर्माता कम्पनी को IEC 61215 Edition /BIS 14286 from an NABL or IECQ accredited Laboratory सर्टिफिकेट देना होगा।
14. निर्माता कम्पनी के साथ उनके अधिकृत विक्रेता भी निविदा में भाग ले सकते हैं।

**वित्तीय निविदा की शर्तें : -**

1. वित्तीय निविदा मे क्रियान्वयन की जानेवाली योजना का स्पेशिफिकेशन एवं प्रति ईकाई दर आपूर्ति/ अधिष्ठापन कर सहित देना होगा। साथ ही वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत मद पाँच वर्षों हेतु अलग से देना होगा।

**अन्य शर्तें : -**

1. सोलर स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम पर अधिष्ठापन की तिथि से सोलर प्लेट-25वर्ष, बैटरी एवं अन्य उपकरण की 05 वर्ष की गारंटी होनी चाहिए। इस अवधि में नियमित रख रखाव व जाँच का पूर्ण दायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा।
2. निविदादाता को विगत छः माह के अन्दर का आचरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा जो पुलिस अधीक्षक से प्राप्त हो।
3. आपूर्ति किये जानेवाले सिस्टम की फिटिंग / दुलाई आदि का अलग से कोई खर्च नहीं दी जायेगी।

4. किसी भी तरह का विवाद होने का न्यायिक क्षेत्र ज़मुई होगा।
5. तकनीकी निविदा के जाँचोपरांत निर्धारित मानक पर खरा उतरने के पश्चात ही निविदादाता का वित्तीय बीड खोला जायेगा।
6. निविदा दो अलग अलग मुहरबंद लिफाफे में होगी। एक पर तकनीकी निविदा लिफाफा एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा लिफाफा अवश्य लिखा होना चाहिए। दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा।
7. क्रय समिति में चयनित निविदादाता को कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा, ससमय अधिष्ठापन / जाँच / गुणवत्ता के आधार पर राशि भुगतान की जायेगी।
8. जिले के विभिन्न सुदूर स्थानों पर भी सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन कार्य निर्धारित समय पर करना होगा।
9. विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में अधिष्ठापन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत 90 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा एवं 10 प्रतिशत राशि 05 वर्ष की गारंटी अवधि समाप्ति पर कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरांत भुगतान किया जायेगा। वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत मद की राशि वर्षवार विमुक्त की जायेगी।
10. सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन में विलम्ब की स्थिति में 12.5 प्रतिशत प्रतिमाह चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कटौती की जायेगी।
11. राशि का भुगतान जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, जमुई एवं ब्रेडा तकनीशियन के स्थलीय जाँच प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा।

**फोर आर्म्स सोलर लाईट सिस्टम का मानक एवं मापदंड निम्न प्रकार से होना चाहिए :-**

1. सोलर प्लेट :- 74 wp under STC. Warranted for a minimum period of 25 years from the date of supply.
2. सोलर बैट्री :- Lead acid Tubular Flooded or Tubular GEL/VRLA, 12V – 75 AH @ c/10. Warranted for a minimum period of 05 years from the date of supply.
3. चार्ज कन्ट्रोलर यूनिट :- 6 Amps with efficiency 85%
4. लैम्प / लोड :- Compact Fluorescent Lamp of 11 watt.
5. ल्यूमिनेरियस हाउसिंग :- Weather proof with high illuminative acrylic & reflector.
6. एल्यूमिनेशन :- 900 Lumens.
7. केबल :- 2.5 sq mm as required.
8. पोल :- Galvanized MS duty primered (2coats) 60mm OD in upper portion 76 OD in lower portion and length of the pole above ground shall not be less than 4.0 meteres. Length of the pole below ground shall be minimum 1.5 meters.
9. बैट्री बॉक्स :- Galvanized MS with lock facility.
10. माँडयूल माउण्टिंग स्ट्रैक्चर :- Galvanized MS configured to Mount Modules.
11. हार्डवेयर एसोसिरिज :- As per the configuration made.
12. ड्यूटी साईकिल :- Dust to dawn.
13. ऑटोनोमी :- 03 days or minimum 42 operating hours per permissible discharge.

उक्त सामग्री नवीन एवं नवीनकरणीय उर्जा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत मानक एवं मापदंड का होना अनिवार्य है।

ह0/-  
जिला योजना पदाधिकारी,  
जमुई।